जीसीएमएस नबंरः–2013/00132

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारीः सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0

43/2013

1. बलबीर सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह निवासी 20 एसपीएम, मुरब्बा नम्बर 13 व 14 के निवासीगण गांव गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सोहन सिंह पुत्र अर्जन सिंह निवासी 20 एसपीएम, मुरब्बा नम्बर 13 व 14 के निवासीगण गांव गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरदेव सिंह पुत्र काला सिंह निवासी 20 एसपीएम, मुरब्बा नम्बर 13 व 14 के निवासीगण गांव गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. गुरदेव सिंह पुत्र विचित्र सिंह निवासी 20 एसपीएम, मुरब्बा नम्बर 13 व 14 के निवासीगण गांव गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. किशन सिंह पुत्र बरयाम सिंह निवासी 20 एसपीएम, मुरब्बा नम्बर 13 व 14 के निवासीगण गांव गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. महेन्द्र सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी 20 एसपीएम, मुरब्बा नम्बर 13 व 14 के निवासीगण गांव गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. बुधराम पुत्र श्री लालचन्द निवासी 20 एसपीएम, मुरब्बा नम्बर 13 व 14 के निवासीगण गांव गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. लखविन्द्र सिंह पुत्र लालचन्द निवासी 20 एसपीएम, मुरब्बा नम्बर 13 व 14 के निवासीगण गांव गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. अकबर खां पुत्र श्री हस्नखां निवासी 20 एसपीएम, मुरब्बा नम्बर 13 व 14 के निवासीगण गांव गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. जगसीर सिंह पुत्र अजायब सिंह निवासी 20 एसपीएम, मुरब्बा नम्बर 13 व 14 के निवासीगण गांव गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. गुरमेल सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह निवासी 20 एसपीएम, मुरब्बा नम्बर 13 व 14 के निवासीगण गांव गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. रूप सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी 20 एसपीएम, मुरब्बा नम्बर 13 व 14 के निवासीगण गांव गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
13. अमर सिंह पुत्र नायब सिंह निवासी 20 एसपीएम, मुरब्बा नम्बर 13 व 14 के निवासीगण गांव गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
14. हजारी पुत्र श्री बीरूराम निवासी 20 एसपीएम, मुरब्बा नम्बर 13 व 14 के निवासीगण गांव गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत 15 एसपीएम जरिये सरपंच ग्राम पंचायत 15 एसपीएम।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 05.09.20013 संकल्प संख्या 6 में वादी भूमि पर कब्जा हटाने का व भवन सामग्री जब्त करने का आदेश दिया गया, को निरस्त करने हेतु।

उपस्थित :-

1. श्री तेजा सिंह अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री गुरचरण सिंह अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता

दिनांक: 29.05.2026

:: आदेश ::

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि :-

1. यह कि आदेश ग्राम पंचायत 15 एसपीएम विधि के विरूद्व एवं कानून के खिलाफ वा वाक्यात व इन्साफ न होने की वजह से काबिले निरस्ती है। फैसला की प्रमाणित प्रति सलंग्न निगरानी है।
2. यह कि प्रार्थीगण चक 20 एसपीएम के मुरब्बा नम्बर 13 व 14 के निवासीयान है, जो पिछले 40 सालो से रह रहे है, जो ग्राम पंचायत गणेशगढ द्वारा पट्टे काटकर दिये हुए है और मौका पर निवास कर रहे है, लेकिन अब नयी पंचायत 15 एसपीएम की अलग होने से 20 एसपीएम के वाशिन्दागन की पंचायत 15 एसपीएम में आ गयी। मौजूदा सरपंच रंजिश के कारण प्रार्थीगणो को तंग वा परेशान कर रहा है और अवैध कब्जे का बहाना बनाकर मकानो को तुडवाने के लिए संकल्प संख्या-6 दिनांक 05.09.2013 को पारित करवाकर बेदखल करने का नोटिस दिया है, जिसके लिए उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से पुलिस की मदद मांग ली है, जबकि सभी निवासीयान के पास पट्टे है जब तक पट्टे खारिज नहीं होते तब तक मकान नहीं तुड़वाये जा सकते। संकल्प संख्या-6 काबिले निरस्ती है।
3. यह कि संकल्प संख्या-6 पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ अदालत का आदेश एक तरफा है जो काबिले निरस्त है। तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

4. यह कि उक्त प्लाटो के सम्बन्ध में संभागीय आयुक्त बीकानेर में भी प्रार्थीगण ने आवेदन –पत्र दिया था। बीकानेर संभागीय आयुक्त द्वारा दिनांक 20.09.2013 को उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर को आदेश दिया था कि चक 15 एसपीएम ग्राम पंचायत द्वारा चक 20 एसपीएम के मुरब्बा नम्बर 13 व 14 में हेमादेवी अवैध तरीके से लोगो को उजाड़ने की कोशिश कर रही है जिसकी जांच अभी पंचायत समिति सादुलशहर में चल रही है। इस सम्बन्ध में मेरे को जांच करवाकर भिजवायी जावें। अभी तक जांच पेण्डिंग है लेकिन एसडीएम साहब ने ग्राम पंचायत को कब्जा हटाने के लिए पुलिस सहायता दे दी है जो विधि विरूद्ध है और ग्राम पंचायत का कृत्य भी विधि विरूद्ध है। इसलिए संकल्प संख्या –6 विधि विरूद्ध होने के कारण काबिले निरस्ती है।

5. यह कि निगरानी अदालतवाला के क्षेत्राधिकार वा श्रवणाधिकार की है, दिनांक 05.09.2013 का आदेश है जो अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर संकल्प संख्या–6 दिनांक 05.09.2013 का आदेश निरस्त फरमाकर ग्राम पंचायत के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावें।

निगरानी से सबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्तागण चक 20 एसपीएम के मुरब्बा नम्बर 13 व 14 के निवासीयान है, जो पिछले 40 सालो निवास कर रहे है। निगरानीकर्तागण को ग्राम पंचायत गणेशगढ द्वारा पट्टे काटकर दिये हुए है जिन्हें आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है। परन्तु अब नयी पंचायत 15 एसपीएम की अलग होने से 20 एसपीएम के वाशिन्दागन की पंचायत 15 एसपीएम बन गयी है। मौजूदा सरपंच रंजिश के कारण प्रार्थीगणो को तंग वा परेशान कर रहा है और अवैध कब्जे का बहाना बनाकर मकानो को तुडवाने के लिए संकल्प संख्या–6 दिनांक 05.09.2013 को पारित करवाकर बेदखल करने का नोटिस दिया है, जबकि सभी निवासीयान के पास पट्टे है जब तक पट्टे खारिज नहीं होते तब तक मकान नहीं तुड़वाये जा सकते। उक्त प्लाटो के सम्बन्ध में संभागीय आयुक्त बीकानेर में भी प्रार्थीगण ने आवेदन –पत्र दिया था। बीकानेर संभागीय आयुक्त द्वारा दिनांक 20.09.2013 को उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर को आदेश दिया था कि चक 15 एसपीएम ग्राम पंचायत द्वारा चक 20 एसपीएम के मुरब्बा नम्बर 13 व 14 में हेमादेवी अवैध तरीके से लोगो को उजाड़ने की कोशिश कर रही है जिसकी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

जांच अभी पंचायत समिति सादुलशहर में चल रही है। जांच अभी तक पेण्डिंग है लेकिन एसडीएम साहब ने ग्राम पंचायत को कब्जा हटाने के लिए पुलिस सहायता दे दी है जो विधि विरूद्व है और ग्राम पंचायत का कृत्य भी विधि विरूद्व है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर संकल्प संख्या–6 दिनांक 05.09.2013 का आदेश निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत गणेशगढ द्वारा निगरानीकर्तागण को जो पट्टे जारी किये गये वह क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पट्टो का आवंटन किया गया है क्योंकि वर्ष 1995 में ग्राम पंचायत गणेशगढ में चक 11 एस.पी.एम. से चक 21 एस.पी.एम. शामिल नहीं थे। वर्ष 1995 में पुर्नगढन के समय चक 15 एसपीएम से 20 एसपीएम किस ग्राम पंचायत में शामिल थे और गणेशगढ ग्राम पंचायत में कौन–कौन से चक शामिल थे ग्राम पंचायत गणेशगढ की जानकारी में नही है। ग्राम पंचायत गणेशगढ द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर से निगरानीकर्तागण को पट्टो का आवंटन किया गया है। इसलिए निगरानकर्तागण की निगरानी अस्वीकार की जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता ने निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत 15 एसपीएम के आदेश दिनांक 05.09.20013 संकल्प संख्या 6 से निगरानकर्तागण की भूमि पर कब्जा हटाने का व भवन सामग्री जब्त करने का आदेश दिया गया के विरूद्व पेश की है। निगरानीकर्तागण को ग्राम पंचायत गणेशगढ द्वारा पट्टे जारी किये जाने बताये गये है जबकि निगरानीकर्तागण ग्राम पंचायत 15 एसपीएम के निवासीयान है। यहां मुख्य बिन्दु क्षेत्राधिकार है जिसके सम्बन्ध में विकास अधिकारी पंचायत समिति सादुलशहर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाकर क्षेत्राधिकार के बिन्दु का निस्तारण करवाया जाना उचित होगा।

फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाकर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त विवादित आदेश दिनांक 05.09.20013 संकल्प संख्या 6 जो ग्राम पंचायत 15 एसपीएम द्वारा पारित किया गया है जिसके द्वारा निगरानीकर्तागण के नाम से ग्राम पंचायत गणेशगढ द्वारा पट्टो का आवंटन किया गया है के सम्बन्ध में स्वयं के नेतृत्व में कमेटी गठित कर जांच करें। दोनो पक्षो की उपस्थिति में सुनवाई करते हुए उक्त विवादित पट्टो एवं संकल्प संख्या–6 दिनांक 05.09.2013 का निस्तारण करें। उक्त जांच में अगर पट्टे गलत जारी होने पाये जाते है तो पट्टो को निरस्त करवाने की कार्यवाही की जावें एवं

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अगर संकल्प संख्या –6 दिनांक 05.09.2013 गलत पाया जाता है तो उसे निरस्त करवाने की कार्यवाही की जावें। आदेश की प्रति मय रिकार्ड सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजा जावे एवं आदेश की प्रति पालनार्थ विकास अधिकारी पंचायत समिति, सादुलशहर को भिजवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)